तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/12/25	वकील पक्षकारान उप०/ अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र दि. 29/1/26 को पेश होवे [signature]
29/1/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत अगली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19/2/26 को पेश हो [signature]
19/2/26	वकलाए उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 26/2/26 को पेश होवे
26/2/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत अगली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27/2/26 को पेश हो [signature]
27/2/26	वकलाए उप०। पत्रावली वास्ते आदेश पेश। कुर्ह प्रा० पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को तस्फिया बाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर होवे [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी [illegible])

[illegible] सं0	[illegible]	तारीख फैसला
[illegible]/2023	18.08.2023	[illegible]

भैरूलाल गोस्वामी [illegible] उम्र 74 वर्ष [illegible] श्री [illegible] जाति गुसांई निवासी देहूला हाल निवास [illegible] [illegible] तहसील लाखेरी जिला कोटा राज0 — प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती किरकिन्धा बाई आयु 80 वर्ष पुत्री [illegible] जाति [illegible] गुसांई निवासी ग्राम देहूला तहसील तालेड़ा जिला बूंदी।
2. श्री के के पारीक पुत्र श्री [illegible] जाति ब्राह्मण निवासी [illegible] [illegible] कोटा राज0
3. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री [illegible] शेखपाल जाति पंजाबी निवासी 178 [illegible] कोटा तहसील लाखेरी जिला कोटा।
4. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब तालेड़ा।
5. उप पंजीयक तालेड़ा जिला बूंदी राज0

— अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी := श्री राजकुमार गौतम
अधिवक्ता अप्रार्थी := श्री [illegible]

= : : निर्णय : : =

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1482/397 रकबा 0.0890 हैक्टेयर ग्राम देहूला तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राज0 में स्थित है जो वर्तमान जमाबन्दी संवत 2076 की खाता संख्या नई 262 में खातेदार के स्थान पर प्रार्थी भैरूलाल का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थीया किरकिन्धा बाई का 1/2 हिस्सा निहित है। कृषि भूमि खसरा संख्या 1072 रकबा 2.1125 हैक्टेयर ग्राम देहूला तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राज0 में स्थित है। जो जमाबन्दी संवत 2076 की नये खाता संख्या 414 में खातेदार के स्थान पर प्रतिवादी श्री के के पारीक का 1/4 हिस्सा अप्रार्थीया किरकिन्धा बाई का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी विरेन्द्र कुमार शेखपाल का 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 के पिता [illegible] गोस्वामी का दिनांक 14-3-1996 को ग्राम देहूला में देहान्त हो गया है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी क्रम 1 उनके उत्तराधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार जमाबन्दी संवत 2028 से 47 में वादी एवं अप्रार्थी के पिता [illegible] दर्ज थे जिनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज हुई है। इससे पूर्व उक्त भूमि श्री [illegible] के पिता श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] के खाते दर्ज थी प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी संवत 2001 से 2005 ग्राम देहूला की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। उक्त भूमि का सैटलमेन्ट हो चुका है । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में बन्दोबस्त एंव सैटलमेन्ट का कार्य हो चुका है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के पिता श्री [illegible] को प्रार्थी के पितामह श्री [illegible] से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वादी के पिता [illegible] के खाते में दर्ज हुई । यह कृषि भूमि पूर्वजो के समय से चली आ रही है इस कारण श्री [illegible] की मृत्यु के उपरान्त इस कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता श्री [illegible] एवं प्रार्थी का संयुक्त एवं समान रूप से 1/2-1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकार निहित हुआ तथा [illegible] के स्वर्गवास के बाद उनके 1/2 हिस्से में प्रार्थी भैरूलाल एवं अप्रार्थी श्रीमती किरकिन्धा को समान हिस्सा उत्तराधिकार में बंटवारे में प्राप्त होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त वाद पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी भैरूलाल का 2/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी श्रीमती किरकिन्धा का 1/3 हिस्सा कानूनन निहित है। राजस्व अधिकारियो ने गलती से जमाबन्दी में [illegible] के स्वर्गवास के उपरान्त प्रार्थी एंव अप्रार्थी श्रीमती किरकिन्धा का नाम फोती नामान्तकरण से समान रूप से सहखातेदार दर्ज कर दिया गया जो सर्वथा अवैध है। नामान्तकरण से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है वैधानिक रूप से प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी भैरूलाल का 2/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी श्रीमती किरकिन्धा का 1/3 हिस्सा निहित है जिसे घोषित करवाकर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र की चरण

3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा कानूनन उत्तराधिकार में प्राप्त होता है किन्तु राजस्व अधिकारियो ने गलती से मात्र 1/2 हिस्सा ही दर्ज किया है। इस 1/2 हिस्से में से प्रार्थी ने 1/4 हिस्सा अप्रार्थी क्रम 2 तथा 1/4 हिस्सा अप्रार्थी क्रम 3 को बैचान कर दिया है तथा इस बैचान के आधार पर अप्रार्थी क्रम 2 व 3 का नाम खाते में दर्ज हो चुका है। वास्तव में प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 व 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 2/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा का विधि विरुद्ध रूप से गलत दर्ज कर किया गया है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि में स्वंय को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित करवाये तथा प्रार्थना पत्र की चरण क्रम में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी श्री के के पारीक एंव विरेन्द्र कुमार को 1/4-1/4 हिस्सा प्रार्थी द्वारा बैचान कर दिये जाने से शेष 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित करवाये तथा अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा बाई का गलत रूप से दर्ज 1/2 हिस्सा विलोपित करवाये। वास्तव में प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा का कानूनन 1/3 हिस्सा है तथा प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 3 में वर्णित कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा निहित है। इसी अनुरुप विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थी क्रम 2 काबिज है। अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा ने वादग्रस्त भूमि पर कभी खेती नही की है उसके हिस्से पर भी प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा को कृषि लाभ हिस्सेनुसार प्रार्थी देता है। अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा का वाद पत्र की चरण क्रम 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में गलत हिस्सा दर्ज है इसी का नाजायज लाभ उठाकर वह विवादित कृषि भूमि को अजनबी केता को बैचान एंव भारग्रस्त करने पर आमादा है इस आशय की धमकी अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा ने वादी को दिनांक 8-7-2025 को दी है कि वह सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को अजनबी व्यक्ति को रहन,बैचान एंव भारग्रस्त कर देगी। प्रार्थी को अप्रार्थी क्रम 1 के हिस्से की भूमि का अग्रक्रय अधिकार प्राप्त है। यदि अप्रार्थी उसके कृत्य में सफल हो जावेगी तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रार्थी को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 व 3 मे वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर हिस्सेनुसार बंटवारे में प्राप्त कृषि भूमि पृथक खाते दर्ज करवाये तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर स्वतंत्र दखल प्राप्त करे। वाद के विचारण में विलम्ब होने की सम्भावना है व अप्रार्थी ने दिनांक 8-7-2025 को वादग्रस्त भूमि को रहन बैचान एंव भारग्रस्त करने की वादी को धमकी दी है। इसलिए अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय हित में आवश्यक हो गया है नही तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा। प्रार्थी का प्रथम दुष्टया प्रकरण प्रमाणित है एंव सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी वादी के पक्ष में है । अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में कोई हानि नहीं है एंव प्रार्थी वादी को भारी क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा बाई को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा करवाये बिना नाजायज रूप से वादग्रस्त भूमि को किसी भी अजनबी व्यक्ति को रहन बैचान एंव भारग्रस्त नहीं करे तथा अप्रार्थी उप पंजियक तालेडा को पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के बाबत अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा बाई द्वारा निष्पादित किसी भी भार एंव हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थी श्रीमती किरिकिन्दा बाई को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की भूमि में न तो कोई दखल स्वंय उत्पन्न करे न ही दखल अन्य से उत्पन्न करवाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रार्थी को प्रदान की जावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि जवाबकर्ता के पिता श्री खानगर की निर्वसीयत मृत्यु हुयी थी उनकी मृत्यु के उपरान्त वाद ग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज हुआ। अप्रार्थीया के दादाजी श्री देवगर की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी का जन्म हुआ था जबकि अप्रार्थीया का जन्म अपने दादाजी के जीवनकाल में ही हो चुका था। प्रार्थी का वाद वर्णित भूमि पर अपने पिता के साथ 1/2 हिस्सा श्री देवगर की मृत्यु के पश्चात दर्ज होना अस्वीकार है। प्रार्थी के द्वारा वाद ग्रस्त आराजी में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी सं0 2 व 3 को बैचान करना स्वीकार है। मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त नही है। प्रार्थी उक्त भूमि का सहखातेदार भी नही है। इसलिये प्रार्थी को अग्रक्रय का भी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नही है। इसके विपरीत अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीया के विधिक अधिकारो का हनन होगा। प्रार्थी स्थगन आदेश की आड में अप्रार्थीया को बेदखल करना चाहता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस अपयक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि में स्वंय के 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित करवाये तथा प्रार्थना पत्र की चरण क्रम में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी के के के वतीक एंव विवेक कुमार को 1/4-1/4 हिस्सा प्रार्थी द्वारा बैचान कर दिये जाने से शेष 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित करवाये तथा अप्रार्थी श्रीमती किरिस्नदा बाई का गलत रूप से दर्ज 1/2 हिस्सा निरस्त करवाये। वास्तव में प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 में वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थी श्रीमती किरिस्नदा का कानूनन 1/3 हिस्सा है तथा प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 3 में वर्णित कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा निहित है। इसी अनुरूप विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी एंव अप्रार्थी क्रम 2 काबिज है। अप्रार्थी श्रीमती किरिस्नदा ने वादग्रस्त भूमि पर कभी खेती नहीं की है उसके हिस्से पर भी प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी श्रीमती किरिस्नदा को कृषि लाभ हिस्सेनुसार प्रार्थी देता है। अप्रार्थी श्रीमती किरिस्नदा बाई को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा करवाये बिना नाजायज रूप से वादग्रस्त भूमि को किसी भी अजनबी व्यक्ति को रहन बैचान एंव भारग्रस्त नहीं करे तथा अप्रार्थी उप पंजियक तालेडा को पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के बाबत अप्रार्थी श्रीमती किरिस्नदा बाई द्वारा निष्पादित किसी भी भार एंव हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन नहीं करे। बहस के समर्थन में वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1993 पेज नं0 203 पेश किये।

वकील अप्रार्थी सं0 1 ने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी में प्रार्थी ने अपना हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 व 2 को बैचान कर दिया है एवं अब अप्रार्थी के मन में बदनियती आ जाने से वह अपनी बहन के हिस्से को भी बेचान करने एवं कब्जा करने की मंशा से यह वाद पेश किया है प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई हिस्सा शेष नही रहने से कोई हक अधिकार नही है। ना ही जिस तरह से प्रार्थना पत्र तथ्य अंकित किये गये है उक्तानुसार प्रार्थी का हिस्सा भी उक्त भूमि में नही बनता है। अप्रार्थी सं0 1 वाद वर्णित आराजी पेतृक होने से 1/2 हिस्से की खातेदार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य मूल रूप से हिस्से को लेकर विवाद है जिसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर होना है। दौराने बहस अप्रार्थी सं0 1 स्वयं के कथन अनुसार भूमि अप्रार्थीया के खाते में दर्ज होने एवं लाभांश पर प्रार्थी द्वारा काश्त करना स्वीकार किया। पक्षकारो के मध्य विवाद को दृष्टिगत रखते हुये एवं वाद में हिस्से की कानूनी पेचिदगी के निस्तारण तक पक्षकारों के मध्य शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि दोनो पक्ष वाद वर्णित आराजी के रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाये रखे। वाद वर्णित आराजी को रहन , बैचान अथवा भारग्रस्त नही करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा